

2018/00240

फर्द अहकाम
(नियम-26)

न्याय आपके द्वार 2018

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम


रायसिंहनगर

बनाम लक्ष्मी

सुभाषचन्द्र शंभरजी लाल
11TK
किसम मुकदमा कुधली

मुकदमा नं. 84
23/5/18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23/5/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/173 दिनांक 23/5/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 11TK में प्रार्थीगण के नाम चक 11TK की जमाबन्दी सम्वत् 2068-72 के खाता नं. 43 में खातेदार <u>कृष्णलाल-ओम प्रकाश</u> वरिष्ठ 2-682 के मुकाम 2-682 के पिंभरजी लाल शैशनी <u>पंचायत 1-34</u> के मुकाम <u>विकास कांडे</u> खातेदार शक्ति देवी मुकाम नाम <u>कुधली</u> है। जिसकी <u>कृष्णलाल-ओम प्रकाश</u> वरिष्ठ 2-682 के मुकाम 2-682 के पिंभरजी लाल शैशनी <u>पंचायत 1-34</u> के मुकाम <u>विकास कांडे</u> की दुरुस्ती की जाने की अभिशपा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 23/5/18 की पृष्ठ मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक 11TK के खाता नं. 43 में दर्ज खातेदार <u>कृष्णलाल शंभरजी लाल</u> वरिष्ठ 2-682 के मुकाम 2-682 के मुकाम <u>विकास कांडे</u> की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	


 उप जिला कलक्टर
 राजस्व लोक अदालत
 रायसिंहनगर
 न्याय आपके द्वार-2018
 कैम्प कोर्ट 11TK
 उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर